न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–315/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00176)

1. नेमीचन्द,
2. बनवारी लाल पिसरान फ़ताराम,
3. महेश कुमार,
4. संजय कुमार पिसरान विधाधर,
5. रजनी,
6. बेबी पुत्रीयान विधाधर,
7. द्रोपती देवी पत्नी विधाघर, समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम मीलनगर, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 16.01.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.16 (प्रकरण संख्या 42/16) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि खसरा नम्बर 970/69 रकबा 1.30 हैक्टयर वाके ग्राम मीलनगर, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू के काबिज खातेदार अपीलान्ट संख्या 1 व खसरा नम्बर 69 रकबा 2.22 हैक्टयर वाकै ग्राम मीलनगर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू के काबिज सहकृषक समस्त अपीलान्ट है, अपीलान्ट्स अपने खाते/सहखाते की आराजी उक्त की चारों तरफ से तारबन्दी कर काबिज काश्त है तथा आराजी मुतनाज का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग कर रहे है, आराजी उक्त में से पूर्व में कोई रास्ता न रहा, न वर्तमान में चालू है फिर भी अधीनस्थ तहसीलदर ने अलवा दीगर आराजीयात के अपीलान्ट्स की खातेदारी/सहखातेदारी की आराजी उक्त की मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम के तहत रास्तों का राजस्व अभिलेखों में अंकन बाबत दिनांक 25.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के समक्ष पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार/सहकृषक अपीलान्ट्स को सुनवाई, जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर न देते हुए दिनांक 09.12.2016 के आदेश से अन्य अराजी के साथ–साथ अपीलान्ट की खातेदारी/सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 970/69 रकबा 1.30 हैक्टयर में 0.04 हैक्टयर रकबे का व

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

खसरा नम्बर 69 रकबा 2.22 हैक्टयर में से 0.03 हैक्टयर रकबे का अलग नम्बर कायम कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार को फरमा दिये गये है जो विधि विरूद्ध, कतई खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय ने मुकम्मल जवाबदेही, साक्ष्य, सबूत पेश करने का कतई कोई अवसर नही दिया और सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित जाकर आनन–फानन में अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की जो समेरली निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति का जायजा न लेकर तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्तावित प्रविष्टि को ही अंतिम मानते हुये अपीलान्ट्स के खाते कब्जे की आराजी में से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश देने में भंयकर गलती की जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि अपीलान्ट्स के खाते कब्जे की उक्त आराजी में से होकर रास्ता न तो पूर्व में चालू था न वर्तमान में है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तहसीलदार की मौके की स्थिति के विपरित व अपीलान्ट्स की गैर मौजूदगी में तैयार रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित प्रविष्ठि के मुताबिक अपीलाधीन अदेश देने में भयंकर गलती है, जो निरस्तनीय है तथा धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान प्रश्नगत प्रकरण में चस्पा नही होते है इस लिहाज से भी अपीलाधीन आदेश निररतनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया है कि दिनांक 02.06.2017 को ग्राम मालनगर के निवासी किशोर कुमार, नागरमल मील व राजेन्द्र मील द्वारा आराजी उक्त की तारबन्दी तोड़ दी गई व रास्ता खोलने पर मौके पर विवाद हुआ व एफ. आई. आर. दिनांक 06.06.17 को दर्ज होने पर किशोर कुमार वगैरह से अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट्स को जानकारी हुई तथा काफी प्रयास के बाद दिनांक 18.07.2017 के अपीलाधीन आदेश की नकल ली व प्रश्नागत आदेश को अपील करने के लिये आवश्यक कानूनी सलाह मुशविरा दस्तावेज इक्कठ्ठे करने व रूपये पैसे का इंतजाम करने में अपील पेश करने में समय लग गया तथा जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है तथा अपील पेश करने में हुई देरी लापरवाहीवंश न होकर उक्त कारणोंवश है जिसे कण्डोन किया जाना न्याय हित में है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 कतई इलिगल एण्ड अग़ेंस्ट प्रिंसीपल ऑफ इक्विटी एण्ड जस्टिस होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 निरस्त फरमाया जाकर मुतालिक खसर नम्बर 970/69 में से कायम गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नम्बर 164/69 रकबा 0.04 हैक्टयर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

व खसरा नम्बर 69 में से कायम गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 166/69 रकबा 0.03 हैक्टयर वाके ग्राम मीलनगर तहसील नवलगढ जिला झून्झुनू को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी पेश नही की गई है।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 970/69 एवं खसरा नम्बर 69 के मुताबिक जमाबन्दी खातेदार है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही सिर्फ तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण उचित नही ठहराया जा सकता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2016 को अपीलान्ट की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।